निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 28/अपील/21

तारीख दायरा: 06.08.2021

रायसिंह पुत्र गौरीलाल जाति भील नि0 देवरी देव
उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सरखण्डिया तहसील अकलेरा (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजी निर्णय जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ दिनांक 03.02.2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 62/2020

उपस्थित :- श्री बच्चूलाल, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

-: निर्णय :-

दिनांक: 07.12.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड के प्राधिकार पत्र निरस्तगी के आदेश क्रमांकः 62/2020/दिनांक 03.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित किया है कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत सरखण्डिया तहसील अकलेरा का दुकानदार है। जिला रसद अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया किन्तु जिला रसद अधिकारी ने जवाब का अवलोकन किये व निर्णय में उल्लेख किये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 03.02.2021 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कानून न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध मनमाना होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अटेचमेन्ट डीलर को गेहूं व चीनी को सुपुर्द किया गया है इससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नही हुआ है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 03.02.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की डीलरशिप को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत सरखण्डिया तहसील अकलेरा का दुकानदार है। जिला रसद अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया किन्तु जिला रसद अधिकारी ने जवाब का अवलोकन किये व निर्णय में उल्लेख किये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 03.02.2021 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कानून न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध मनमाना होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अटेचमेन्ट डीलर को गेहूं व चीनी को सुपुर्द किया गया है इससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नही हुआ है। अतःजिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 03.02.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

पेरोकार रसद ने बताया कि 17.07.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक अकलेरा द्वारा ग्राम पंचायत सरखण्डिया के उचित मूल्य दुकानदार का निरीक्षण करने पर दुकान खुलने बंद होने का समय अवकाश का दिन,स्टॉक,मूल्य वितरण, जि0र0अधि/उपखण्ड अधिकारी/जिला कलक्टर व टोल फ्री नम्बर का प्रदर्शन नही पाया गया तथा दुकान पर स्टॉक रजिस्टर का संधारण नही पाया गया व 220.53 क्वि0गेहूं तथा 100 किलो चीनी कम पाई जिस पर निलम्बित डीलर को निलम्बन के पश्चात नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के पर्याप्त मौके देने, प्राधिकार पत्र निलम्बित होने के उपरान्त

जिला कलक्टर
झालावाड़

सामग्री लोटाने को गबन की श्रेणी में व अनियमितता मानते हुए प्राधिकार पत्र को दिनांक 03.02.2021 को निरस्त कर दिया गया है व डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय उचित है, अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 17.07.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक अकलेरा द्वारा ग्राम पंचायत सरखण्डिया के उचित मूल्य दुकानदार का निरीक्षण करने पर दुकान खुलने बंद होने का समय अवकाश का दिन,स्टॉक,मूल्य वितरण, जि0र0अधि/उपखण्ड अधिकारी/जिला कलक्टर व टोल फ्री नम्बर का प्रदर्शन नही पाया गया तथा दुकान पर स्टॉक रजिस्टर का संधारण नही पाया गया व 220.53 क्वि0गेहूं तथा 100 किलो चीनी कम पाई जिसकी रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को करने पर दिनांक 27.07.2020 को रायसिंह का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया व देवीसिंह/घीसालाल दूसरे डीलर को अटेच किया गया। दिनांकः 31.07.2020, 25.09.2020, 14.10.2020 को रायसिह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । जिसका जवाब निलम्बित डीलर द्वारा दिनांकः 20.10.2020 को प्रस्तुत कर अंकन किया कि 15 दिन में स्टॉक को अटेचमेन्ट डीलर को संभला देगा। तत्पश्चात स्टॉक का हस्थान्तरण अटेच डीलर को नही करने पर दिनांकः 26.10.2020,10.11.2020, 23.12.2020 को पुनः नोटिस जारी किये गये व स्टॉक का हस्तान्तरण नही किये जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु लिखा गया। जिस पर निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध दिनांक 21.01.2021 को थाना घाटोली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई । इस प्रकार निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बकाया सम्पूर्ण स्टॉक को सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार को लगभग 07 माह पश्चात तक हस्तान्तरित नही किया गया जिस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दर्ज करवाई गई। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो की पालना नही करने पर उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 27.07.2020 को निलम्बित कर अपीलान्ट को दिये गये नोटिसों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने पर भी अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट एंव संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया व 07 माह पश्चात तक भी अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण नही किया जाना साबित है । खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा आदेशों के कम में निलम्बन के पश्चात 90 दिन के अन्दर जांच पूर्ण कर जिला रसद अधिकारी को अपना निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जानुबूझ कर जवाब अधीनस्थ जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत नही करने, 07 माह पश्चात तक भी अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण नही करने पर प्रकरण संख्या– 62/2020 में निर्णय दिनांक 03.02.2021 पारित किया गया है जो नियमानुसार विधि संगत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट अनियमितता का दोषी पाया जाता है। 03 माह की अवधि में निस्तारण में देरी जिला रसद अधिकारी के स्तर से नही की गई बल्कि अपीलान्ट के खुद के जवाब नही देने व सामग्री नही लोटाने के कारण हुई है। जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2021 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 07.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़